राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	4286 / 2021 कैलाश चन्द शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राज.)। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर। 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली। 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली (राज.)।	27.09.2021	श्री दिनेश यादव, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांडप्पा, राजकीय अधिवक्ता
2.	4287 / 2021 कृष्ण शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर। 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर (राज.)।		

आदेश की दिनांक : 02.09.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4286 / 2021 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वेतन विसंगति को सही निर्धारित करते हुये जो वेतन अपीलार्थी के साथ चयनित हुये अध्यापक को एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किया जा रहा है। अपीलार्थी को भी उसी के समान वेतन दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जावे तथा काल्पनिक लाभ दिनांक 30.10.1999 से प्रदान करते हुये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि जिला परिषद् बाडमेर द्वारा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड–III के पद की दिनांक 18.11.1999 को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। जिला परिषद् बाड़मेर के आदेश दिनांक 01.11.1999, 30.10.2019 एवं 01.11.1999 के द्वारा विज्ञापन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार की गई वरियता सूची अनुसार आशार्थियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 26.02.2001 द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त एकल आदेश को सरकार द्वारा खण्ड पीठ में चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2001 से निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2003 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया और दस्तावेज जांच इत्यादि के लिये बुलाया गया, जिस कारण अपीलार्थी की नियुक्ति में विलम्ब हुआ, जिसमें अपीलार्थी की किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं जिम्मेदारी नहीं है।

उनका कथन है कि वर्ष 1999 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा श्री शंकरलाल शर्मा जो वर्ष 1999 में नियुक्त किया गया। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2002 में नियुक्ति प्रदान की गई, जो अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जबकि मेरिट क्रमांक में अपीलार्थी ऊपर है और इस प्रकार नियमानुसार समान पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक उससे अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके संबंध में अधिकरण द्वारा भी कई आदेश पारित किये गये, जिसे अनुचित माना गया है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 25.07.2021 को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की वेतन विसंगति को सही निर्धारित करते हुये जो वेतन अपीलार्थी के साथ चयनित हुये अध्यापक को एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक को प्रदान किया जा रहा है। अपीलार्थी को भी उसी के समान वेतन दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जावे तथा

काल्पनिक लाभ दिनांक 30.10.1999 से प्रदान करते हुये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बहस करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमानुसार की गई है और चयनोपरांत ही उसे कार्यग्रहण दिनांक से समस्त वेतन लाभ आदि प्रदान किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्यरत है, परंतु श्री शंकरलाल शर्मा जो अपीलार्थी से मेरिट में नीचे है, फिर भी अपीलार्थी से वेतन अधिक है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुये एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 4286/2021 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 4287/2021 कृष्ण शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)